

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल

विज्ञापन क्र. 2024/126 अनुमानित वनोपज मात्रा नीलाम - दिसम्बर - 2024

(नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकतानुसार अगले दिन भी)

परियोजना मण्डल दूरभाष क्रमांक	डिपो	दिनांक	वनोपज का प्रकार	सागौन		अन्य		जलाऊ चट्टे नग	व्यापारिक बांस नग	औद्योगिक बांस नो.टन
				लड्डा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	लड्डा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग			
खंडवा-खंडवा 0733-2225025	नर्मदानगर	16-12-2024	नया	500.000	30000	0.000	0	370	0	0
			पुराना	524.978	31138	0.000	0	24	0	0
कण्डम-जबलपुर 0761-2420362	गोसलपुर	19-12-2024	नया	81.000	3500.000	21.000	200.000	0.000	0.000	0.000
			पुराना	27.970	748.000	45.867	0.000	478.000	0.000	0.000
मोहगांव-मण्डला 07642-251287	पाण्डीवारा	20-12-2024 नीलाम स्थल पाण्डीवारा	नया	28.000	700.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	देवरीदादर		पुराना	182.000	5968	250.000	207	145	0.000	0.000
			नया	30.000	100	150.000	100	40	0	0
			पुराना	143.000	7038	285.000	513	53	0	0
छिंदवाडा-छिंदवाडा 07162-243271	सतनूर	23-12-2024 नीलाम स्थल भौरा	नया	10.000	5000	0.000	0.000	15	0.000	0.000
	पुराना		5.699	6533	51.245	0.000	0.000	0.000	0.000	
रामपुर-भतौड़ी, पैतूल 07141-238417	भौरा		नया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	पुराना		81.245	18810	203.181	0.000	0.000	0.000	0.000	
लामटा-बालाघाट 07632-240773	कनकी	26-12-2024 नीलाम स्थल कनकी	नया	2.000	2700	25.000	40	0	0	0
	पाद्रीगंज		पुराना	32.630	3717	588.774	0	0	0	0
			नया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			पुराना	0.000	7448	173.434	0	0.000	0.000	0.000
सीहोर-सीहोर 07562-226345	लाडकुई	28-12-2024 (नीलाम स्थल लाडकुई डिपो)	नया	125.000	10400	0.000	0	0	0	0
		पुराना	0.000	5480	0.000	0	0	0	0	
उमरिया-उमरिया 07653-222218	उमरिया	30-12-2024 (नीलाम स्थल उमरिया डिपो)	नया	100.000	5000	200.000	1000	500	0	0
			पुराना	0.000	0	0.000	0	0	0	0
रीवा-सीधी 07822-252300	टिकरी		नया	12.030	8853	0.000	0	0	0	0
			पुराना	0.000	0	0.000	0	0	0	0

नोट:- (1). नीलाम की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी के संज्ञान में, व उनकी सहमति से ही की जाएगी। इस संबंध में संबंधित संभागीय प्रबंधक कार्यालय नीलाम की पूर्व सूचना जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करें। क्रेतागण नीलाम दिनांक से पूर्व संबंधित संभागीय प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर नीलाम होना सुनिश्चित कर लें। (2). शर्त/अन्य विवरण संबंधित मंडल कार्यालय से कार्यालयीन समय में या उक्त वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। (3). खंडवा के नर्मदानगर डिपो के नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो लोहारदा एवं धावडी में रखे हैं। (4). लामटा के कनकी डिपो के नीलाम में इमारती काष्ठ के पुराने लॉट कनकी एवं पाद्रीगंज डिपो में रखे हुए हैं। (5). रीवा-सीधी परियोजना मण्डल द्वारा 1 अपलेखित वाहन, सीहोर के 30 राजसात वाहन एवं छिंदवाडा के 2 राजसात वाहन का माह दिसम्बर के उपरोक्त प्रस्तावित नीलाम तिथियों में वनोपज घोष विक्रय के साथ निवर्तन किया जाएगा। (6). इमारती काष्ठ के नीलाम के बाद, भोजनावकाश के पूर्व समय बचता है, तब जलाऊ का नीलाम किया जावेगा अन्यथा भोजनावकाश के तुरंत बाद पहले जलाऊ काष्ठ का नीलाम संपन्न किया जावेगा। तदोपरांत पुनः इमारती काष्ठ के शेष बचे लॉटों का नीलाम किया जावेगा। (7). नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर एवं नीलाम पूर्ण न होने की स्थिति में, नीलाम दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकेगा। (8). किसी भी प्रकार के प्रस्तावित संशोधन हेतु नीलाम दिनांक से पूर्व, वेबसाइट को अवश्य देख लें।


प्रबंध संचालक

कार्यालय संभागीय प्रबंधक सीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी
मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला- सीधी (म.प्र.)

Phone/Fax - 07822-796058

Email: dmsidhi@yahoo.com

खुली नीलामी द्वारा वाहन विक्रय सूचना

सीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी अन्तर्गत जियावन रोपणी में निम्नलिखित वाहन "जहा है जिस स्थिति में है" के आधार पर दिनांक2024 को वनोपज नीलाम के उपरांत खुली नीलामी से विक्रय किया जावेगा।

क्र.	पंजीयन क्रमांक	गॉडल	वाहन का प्रकार	चेचिस नं.	इंजन नं.
1	MP17A1037	मैसी फाग्यूशन	ट्रेक्टर	C2151	10301

1. इच्छुक क्रेता वाहन सम्बंधी सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mpsfdc.com पर प्राप्त कर सकते हैं।
2. उक्त वाहन जियावन रोपणी परियोजना परिक्षेत्र देवसर में रखा है।
3. उक्त वाहन "जहा है जिस स्थिति में है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा।
4. वाहन मौके पर देखने हेतु पीवेनू गोपाल नायडू पी.आर.ओ. देवसर से (8120603293) सम्पर्क किया जा सकता है।

संभागीय प्रबंधक
सीवा-सीधी परियोजना मण्डल
सीधी (म.प्र.)



मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जिला सीधी (म.प्र.)
सीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी

Email: dmsidhi@yahoo.com

Phone/Fax - 07822-796058

निगम के पुराने वाहन के नीलाम की शर्तें

1. वाहन का नीलाम दिनांक को सीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी में किया जावेगा।
2. वाहन जहां है जिस स्थिति में है, नीलाम किया जावेगा। क्रेता नीलाम में वाहन क्रय करने के पूर्व वाहन का भलीभांति निरीक्षण जियावन रोपणी में कर लें।
3. वाहन के जो अभिलेख उपलब्ध है, वही प्रदाय किये जावेंगे।
4. वाहन की विक्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सम्बंधित मण्डल कार्यालय में वाहन की शेष राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी. एवं सम्पूर्ण करों सहित जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि जमा न करने पर सत्यंकार राशि सम्पूहृत की जावेगी।
5. क्रेता द्वारा क्रय किए गये वाहन के सम्बंध में रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर यह लिखित वचन पत्र देना होगा कि क्रय किया गया वाहन क्रेता द्वारा परिवहन में उपयोग किया जावेगा या कबाड़ (Scrap) में उपयोग किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा वाहन परिवहन में उपयोग करने का लेख किया जाता है, तो क्रेता को वाहन का स्वामित्व आपने नाम पर नामान्तरण कराना आवश्यक होगा। इस पर आने वाले समस्त व्यय क्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जावेंगे। वाहन का प्रदाय नामान्तरण के उपरान्त ही किया जावेगा। क्रेता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं करने तथा उसे स्क्रेप में उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र (Non Judicial) गैर न्यायाधिक स्टाम्प पेपर प्राप्त करने के उपरान्त ही वाहन का अधिपत्य क्रेता को सौंपा जावेगा।
6. वाहन का विक्रय मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत किया जावेगा।
7. क्रेतागण वाहन की स्थिति से अवगत होने के पश्चात ही बोली लगावें। वाहन विक्रय के पश्चात वाहन सम्बंधी किसी भी आपत्ति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
8. वाहन के लिए बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि रु. 10000/- नगद अथवा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
9. वाहन विक्रय उपरान्त यदि क्रेता द्वारा क्रय किये गये समस्त वाहनों का कर सहित मूल्य रु. 10000/- से कम होता है तो वाहन का मूल्य एवं देय करों को जोड़ते हुए शेष राशि वापस कर दी जावेगी।
10. यदि क्रय किये गये वाहन के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि रु. 10000/- से अधिक होती है तो क्रेता को नीलाम स्थल पर ही नीलाम के दौरान ही विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्ण करने हेतु शेष राशि भी आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। अन्यथा पूर्व की जमा राशि निगम हित में सम्पूहृत कर ली जावेगी।
11. असफल बोली लगाने वालों के मामले में सत्यंकार की राशि नीलाम समाप्त होने पर उन्हें वापस लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वालों के मामले में यह राशि वाहन के मूल्य के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।
12. वाहन का निरीक्षण जहां वाहन खड़ा है, कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।
13. नीलामी के दौरान किसी बोली के सम्बंध में विवाद होने पर नीलामकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. फर्म की ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, भागीदारी पत्र एवं मुख्तियारनामा प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदार के हस्ताक्षर

संभागीय प्रबंधक
सीवा-सीधी परियोजना मण्डल, सीधी

सीहोर परियोजना मण्डल, सीहोर

परियोजना मंडल द्वारा वन अपराध में जप्त किये गये अंतिम रूप से राजसात वाहनों का
विवरण :-

क्र.	वाहन क्रमांक/प्रकार	वाहन की स्थिति	नीलाम स्थल
1	2	3	4
1	1 नग हीरो होण्डा मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
2	1 नग टी.व्ही.एस. मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
3	1 नग हीरो मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
4	1 नग हीरो मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
5	1 नग हीरो मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
6	1 नग मारुति आमनी कार	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
7	1 नग टी.व्ही.एस. मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
8	1 नग होरो होण्डा मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
9	1 नग होरो होण्डा मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
10	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
11	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
12	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
13	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
14	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
15	1 नग बजाज डिस्कवर मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
16	1 नग टी.व्ही. एस. मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
17	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
18	1 नग मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
19	1 नग होण्डा साईन मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
20	1 नग हीरा डीलक्स मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
21	1 नग टी.व्ही.एस. स्टार मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
22	1 नग हीरो एच.एफ. डीलक्स मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
23	1 नग हीरो होण्डा मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
24	1 नग हीरो मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
25	1 नग हीरो सी.डी. डीलक्स मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
26	1 नग होण्डा साईन मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो
27	1 नग हीरो मो.सा.	वाहन राजसात	लाड़कुई डिपो

वन अपराध प्रकरणों में सम्पृहत वाहनों के निवर्तन हेतु शर्तें

नीलाम की शर्तें :-

01. वाहनों का नीलाम काष्ठ नीलाम दिनांक को ही सम्बंधित परियोजना मण्डल के काष्ठागार के वनोपज के नीलाम के साथ किया जावेगा एवं सर्व प्रथम वाहन नीलाम किये जावेंगे।
02. वाहन जहां है जिस स्थिति में है, नीलाम किया जावेगा। क्रेता नीलाम में वाहन क्रय करने के पूर्व वाहन का भलीभांति निरीक्षण कर लें।
03. वाहन के जो अभिलेख उपलब्ध हैं, वही प्रदाय किये जावेंगे।
04. वाहन की विक्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सम्बंधित मण्डल कार्यालय में वाहन की शेष राशि सम्पूर्ण करों सहित जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि जमा न करने पर सत्यंकार राशि सम्पृहत की जावेगी।
05. क्रेता द्वारा क्रय किए गये वाहन के सम्बंध में रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर यह लिखित वचन पत्र देना होगा कि क्रय किया गया वाहन क्रेता द्वारा परिवहन में उपयोग किया जावेगा या कबाड़ (scrape) में उपयोग किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा वाहन परिवहन में उपयोग करने का लेख किया जाता है, तो क्रेता को वाहन का स्वामित्व आपने नाम पर नामान्तरण कराना आवश्यक होगा। इस पर आने वाले समस्त व्यय क्रेता द्वारा स्वयं वहन किये जावेंगे। वाहन का प्रदाय नामान्तरण के उपरान्त ही किया जावेगा।
06. वाहन का विक्रय मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत किया जावेगा।
07. क्रेतागण वाहन की स्थिति से अवगत होने के पश्चात ही बोली लगावें। वाहन विक्रय के पश्चात वाहन सम्बंधी किसी भी आपत्ति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
08. प्रत्येक वाहन के लिए बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि रु. 10000/- नगद अथवा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम-लि. के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
09. वाहन विक्रय उपरान्त यदि क्रेता द्वारा क्रय किए गये समस्त वाहनों का कर सहित मूल्य रु. 10,000/- से कम होता है तो वाहन का मूल्य एवं देय करों को जोड़ते हुए शेष राशि वापस कर दी जावेगी।
10. विक्रय किये गये वाहनों में विक्रय मूल्य पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी. 9 प्रतिशत एवं सी.जी. एस.टी. 9 प्रतिशत) देय होगी।
11. यदि क्रय किये गये वाहनो के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि रु. 10,000/- से अधिक होती है तो क्रेता को नीलाम स्थल पर ही नीलाम के दौरान ही विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्ण करने हेतु शेष राशि भी आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। अन्यथा पूर्व की जमा राशि निगम हित में सम्पृहत कर ली जावेगी।
12. असफल बोली लगाने वालों के मामले में सत्यंकार की राशि नीलाम समाप्त होने पर उन्हें वापस लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वालों के मामले में यह राशि वाहन के मूल्य के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।
13. वाहन का निरीक्षण जहां वाहन खड़ा है, कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।
14. नीलामी के दौरान किसी बोली के सम्बंध में विवाद होने पर नीलामकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. फर्म की ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारी पत्र एवं मुख्यारम्भा प्रस्तुत करना होगा।

संभागीय प्रबंधक,

सीहोर परियोजना मण्डल सीहोर

परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा द्वारा वन अपराध में जप्त किये गये अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निर्वतन की सूचना एवं शर्त :-

अ.क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन का क्रय वर्ष	वाहन क्रमांक	स्थिति
1	मोटर साईकिल	2021	MP-28-NE-0750	सतनूर काष्ठागार में जैसी स्थिति में वैसी है।
2	मोटर साईकिल	2017	MP-48-MQ-0803	

वाहन नीलाम के नियम एवं शर्त:-

1. वाहनो का नीलाम काष्ठ नीलाम को ही संबंधित परियोजना मण्डल के काष्ठागार में किया जावेगा एवं सर्व प्रथम वाहन नीलाम किये जावेंगे।
2. वाहन जहां है जिस स्थिति में है नीलाम किया जावेगा। क्रेता नीलाम में वाहन क्रय करने के पूर्व वाहन का भलीभांति निरीक्षण कर लें।
3. वाहन के जो अभिलेख उपलब्ध है, वही प्रदाय किये जावेगे।
4. वाहन की विक्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर सम्बंधित मण्डल कार्यालय में वाहन की शेष राशि सम्पूर्ण करें सहित जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि जमा न करने पर सत्यंकार राशि सम्पूहृत की जावेगी।
5. वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता द्वारा अपने पक्ष में कराये जाने के पश्चात ही वाहन क्रेता को सौंपा जावेगा। वाहन नामांतरण व्यय क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा एवं वाहन से सम्बंधित परिवहन कार्यालय की समस्त औपचारिकतायें क्रेता को स्वयं पूर्ण करानी होगी।
6. वाहन का विक्रय मुख्यालय द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत किया जावेगा।
7. क्रेतागण वाहन की स्थिति से अवगत होने के पश्चात् ही बोली लगावे। वाहन विक्रय के पश्चात् वाहन संबंधी किसी भी आपत्ति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
8. प्रत्येक वाहन के लिए बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि रु. 5000/- नगद जमा करना अनिवार्य।
9. असफल बोली लगाने वालों के मामले में सत्यंकार की राशि नीलाम समाप्त होने पर उन्हें वापस लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वालों के मामले में यह राशि वाहन के मूल्य के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।
10. वाहन का निरीक्षण जहां वाहन खड़ा है, कार्यलयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है।
11. नीलामी के दौरान किसी बोली के सम्बंध में विवाद होने पर नीलामकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. फर्म की ओर से बोली लगाने वाले व्यक्ति को फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, भागीदारी पत्र एवं मुख्तियारनामा प्रस्तुत करना होगा।
13. निगम द्वारा राजसात वाहनों तथा स्क्रेप में विक्रय किये गये वाहनों के विक्रय मूल्य पर 18% GST (CGST 9%, SGST 9%) क्रेता को देय करना होगा

संभागीय प्रबंधक
छिन्दवाड़ा परियोजना मण्डल,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)